

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra



मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार

पत्रांक...7/.....

दिनांक...09/12/10

माननीय मंत्री,
पर्यटन विभाग
बिहार, पटना ।

मधुबनी जिला अन्तर्गत झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में ऐतिहासिक महत्व के अनेक प्राचीन मंदिर एवं पीठ विद्यमान हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं । प्रखंडवार इन स्थलों की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इन स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित कर बिहार एवं देश के मानचित्र पर स्थापित करना चाहेंगे, जिससे मिथिलांचल में पर्यटन का समग्र विकास हो सके एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि भी होगी ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

Nitish Mishra
9.12.10
(नीतीश मिश्रा)



पत्रांक.....

दिनांक.....

मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा अन्तर्गत धार्मिक स्थलों की सूची:-

प्रखंड- झंझारपुर

1. शान्ति नाथ महादेव मंदिर, झंझारपुर ।
2. पंचानाथ महादेव मंदिर, झंझारपुर ।
3. भैरव स्थान ।
4. गौरी शंकर स्थान, जमथर ।
5. महादेव स्थान वार्ड नं0-3, झंझारपुर ।
6. सिंघेश्वरनाथ महादेव मंदिर, काको ।

प्रखंड- लखनौर

7. कपलेश्वर नाथ महादेव मंदिर, मैची ।
8. राधा कृष्ण मंदिर, लखनौर ।
9. औक्सी महादेव मंदिर ।

प्रखंड- मधेपुर

10. चामुण्डा स्थान, पचही ।
11. लक्ष्मी गौंसाई मंदिर, फैटकीकुटी ।
12. विदेश्वर स्थान, भीठ भगवानपुर ।

विभाग द्वारा
नौपचारिक रूप से परामर्शित।

संचिका सं०-पर्य०/यो०(रा०)-53/2011.....

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

13

प्रेषक,

महेश प्रसाद गुप्ता,
अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:- मधुबनी जिलान्तर्गत राधाकृष्ण मंदिर, तखनौर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु ₹ 26,11,000/- (छब्बीस लाख ग्यारह हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना उद्ब्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹ 10,00,000/- (दस लाख ₹) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृति।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क. उक्त परियोजना हेतु निर्मित कुल ₹ 26,11,000/- लाख ₹ के परियोजना प्राक्कलन पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा दिनांक 27.10.2011 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसे महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1598/11 दिनांक 05.11.2011 द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कुल 26,11,000/- ₹ के परियोजना प्राक्कलन में अंकित कार्य घटकों यथा इस परियोजना के अन्तर्गत घाट का विकास, स्थल विकास कार्य (3% अन्यान्य कार्यों हेतु 3.94 % कन्सल्टेन्सी एवं सर्विस चार्ज, 8% पर्यवेक्षण शुल्क सहित) आदि कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कुल 26,11,000/- (छब्बीस लाख ग्यारह हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के संसूचित राज्य योजना उद्ब्यय से स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की शेष राशि क विमुक्ति आगामी वित्तीय वर्ष के संसूचित राज्य योजना उद्ब्यय से की जायेगी। इस योजना को अगले 03 (तीन) महीनों में पूर्ण कर लिया जायेगा।

ख. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना के मुख्य शीर्ष 5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 30 सामान्य, समूह शीर्ष राज्य योजना, तद्यु शीर्ष 800 अन्य व्यय, मांग संख्या-46, उप शीर्ष 0103 पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं विपत्र कोड-पी०-5452808000103, राज्य योजना रकम कोड TOU-5063, प्राथमिक ईकाई 27 01 लघु कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

P.T.O

ग इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा निकासी की गयी राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से योजना के कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

3. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा योजना का संयुक्त पर्यवेक्षण समय-समय पर पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी किया जायेगा।

4. इस परियोजना के लिये आवंटित की जा रही राशि का विचलन कार्य एजेन्सी द्वारा अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार, पटना, को भेजा जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं स्वीकृतिपत्र पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पर्य०/यो०(रा०)-53/2011 के पृ०-11/टि० पर दिनांक-02.02.2012 को एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन उपरोक्त संचिका के पृ० 06/टी० पर दिनांक 13.10.2011 को प्राप्त है।

7. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,

ह०/-

(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक :-पर्य०/यो०(रा०)-53/2011.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागारी पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-


(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक :-पर्य०/यो०(रा०)-53/2011...305

पटना, दिनांक-...06.02.12

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम/श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।

*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या- पर्य0/यो0(रा0)-55/2011-671 /प0वि0
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: 07-03-2012

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:-मधुबनी जिलान्तर्गत सिंहवाहिनी मंदिर, लोहना, झंझारपुर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु ₹26,16,000/- (छब्बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना उद्व्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹10,00,000 (दस लाख रुपये मात्र) की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क- उक्त परियोजना हेतु निर्मित कुल ₹26.16 लाख/- रुपये के परियोजना प्राक्कलन पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा दिनांक 22.10.11 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसे महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1581/11 दिनांक 4.11.11 द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कुल ₹26,16,000/- रुपये के परियोजना प्राक्कलन में अंकित कार्य घटकों यथा इस परियोजना के अन्तर्गत घाट का विकास, स्थल विकास काय (3 प्रतिशत अन्यान्य कार्यों हेतु, 3.94 प्रतिशत कन्सल्टेन्सी एवं सर्विस चार्ज, 8 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क सहित) आदि कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹26,16,000/- (छब्बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की शेष राशि की विमुक्ति आगामी वित्तीय वर्ष के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय से की जायेगी। इस योजना को अगले 03 (तीन) महीनों में पूर्ण कर लिया जायेगा।


ख- इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना के मुख्य शीर्ष- 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, समूह शीर्ष- राज्य योजना, लघु शीर्ष- 800- अन्य व्यय, मांग सं0- 46, उप शीर्ष- 0103- पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं विपत्र कोड- पी. 5452808000103, राज्य योजना स्कीम कोड- TOU- 5063, प्राथमिक इकाई- 27 01- लघु कार्य में उपबन्धित राशि से की जायेगी।

ग- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा निकासी की गयी राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से योजना के कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

3. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा योजना का संयुक्त पर्यवेक्षण समय-समय पर पर्यटन विभाग बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

4. इस परियोजना के लिये आवंटित की जा रही राशि का विचलन कार्य एजेन्सी द्वारा अन्यत्र नहीं किया जायेगा।
5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को भेजा जायेगा।
6. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पर्य0/यो0(रा0)- 55/2011 के पृ0 10/टि0 पर दिनांक 02.03.2012 को एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन उपरोक्त संचिका के पृ0 04/टि0 पर दिनांक 13.10.2011 को प्राप्त है।
7. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,




(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: संख्या- पर्य0/यो0(रा0)- 55/2011-671/प0वि0 पटना, दिनांक: 07-03-12

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: संख्या- पर्य0/यो0(रा0)- 55/2011-671/प0वि0 पटना, दिनांक: 07-03-12

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/ श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के विशेष सचिव

*वित्त विभाग द्वारा
गौपचारिक रूप से परामर्शित।

संचिका सं०-पर्य०/यो०(रा०)-52/2011-306/06-02-12

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

(13)

प्रेषक,

महेश प्रसाद गुप्ता,
अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:- मधुबनी जिलान्तर्गत ऑक्सी महादेव मंदिर, लखनौर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु ₹ 43,51,500/- (तैंतालिस लाख एकावन हजार पाँच सौ ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना उद्ब्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹ 15,00,000/- (पन्द्रह लाख ₹) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृति।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क. उक्त परियोजना हेतु निर्मित कुल 43,51,500/- लाख ₹ के परियोजना प्राक्कलन पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा दिनांक 27.10.2011 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसे महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1608/11 दिनांक 08.11.2011 द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कुल ₹ 43,51,500/- के परियोजना प्राक्कलन में अंकित कार्य घटकों यथा जन सुविधाओं का विकास, चाहरदिवारी का निर्माण, स्थल विकास कार्य (3% अन्यान्य कार्यों हेतु 3.94 % कन्सल्टेन्सी एवं सर्विस चार्ज, 8% पर्यवेक्षण शुल्क सहित) आदि कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 43,51,500/- (तैंतालिस लाख एकावन हजार पाँच सौ ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के संसूचित राज्य योजना उद्ब्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹ 15,00,000/- (पन्द्रह लाख ₹) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की शेष राशि क विमुक्ति आगामी वित्तीय वर्ष के संसूचित राज्य योजना उद्ब्यय से की जायेगी। इस योजना को अगले 03 (तीन) महीनों में पूर्ण कर लिया जायेगा।

ख. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना के मुख्य शीर्ष 5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, समूह शीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय, मांग संख्या-46, उप शीर्ष-0103-पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं विपत्र कोड-पी०-5452808000103, राज्य योजना स्कीम कोड TOU-5063, प्राथमिक ईकाई 27 01 लघु कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

ग. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा निकासी की गयी राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से योजना के कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

3. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा योजना का संयुक्त पर्यवेक्षण समय-समय पर पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी किया जायेगा।

4. इस परियोजना के लिये आवंटित की जा रही राशि का विचलन कार्य एजेन्सी द्वारा अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार, पटना, को भेजा जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पर्य०/यो०(रा०)-53/2011 के पृ०-11/टि० पर दिनांक-02.02.2012 को एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन उपरोक्त संचिका के पृ० 06/टी० पर दिनांक 13.10.2011 को प्राप्त है।

7. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,

(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक :-पर्य०/यो०(रा०)-52/2011...306

पटना, दिनांक-...06-02-12

प्रतिलिपि:- कोषागारी पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।

ज्ञापांक :-पर्य०/यो०(रा०)-52/2011...306

पटना, दिनांक-...06-02-12

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम/श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(महेश प्रसाद गुप्ता)

सरकार के अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेशक।

*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या- पर्य0/यो0(रा0)- 56/2011-672 /प0वि0
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: 07-03-2012

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:-मधुबनी जिलान्तर्गत शांतिनाथ महादेव मंदिर, झंझारपुर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु ₹49,21,000/- (उन्चास लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना उद्व्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹15,00,000 (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क- उक्त परियोजना हेतु निर्मित कुल ₹49.21 लाख/- रुपये के परियोजना प्राक्कलन पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा दिनांक11 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसे महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1606/11 दिनांक 8.11.11 द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कुल ₹49,21,000/- रुपये के परियोजना प्राक्कलन में अंकित कार्य घटकों यथा जन सुविधाओं का विकास, घाट का विकास, चहारदिवारी का निर्माण, स्थल विकास कार्य (3 प्रतिशत अन्यान्य कार्यो हेतु, 3.94 प्रतिशत कन्सल्टेन्सी एवं सर्विस चार्ज, 8 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क सहित) आदि कार्यो के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹49,21,000/- (उन्चास लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय से प्रथम किस्त के रूप में ₹15,00,000/- (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की शेष राशि की विमुक्ति आगामी वित्तीय वर्ष के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय से की जायेगी। इस योजना को अगले 06 (छः) महीनों में पूर्ण कर लिया जायेगा।


ख- इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2011-12 के राज्य योजना के मुख्य शीर्ष- 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, समूह शीर्ष- राज्य योजना, लघु शीर्ष- 800- अन्य व्यय, मांग सं0- 46, उप शीर्ष- 0103- पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं विपत्र कोड- पी. 5452808000103, राज्य योजना स्कीम कोड- TOU- 5063, प्राथमिक इकाई- 27 01- लघु कार्य में उपबन्धित राशि से की जायेगी।

ग- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा निकासी की गयी राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से योजना के कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

3. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा योजना का संयुक्त पर्यवेक्षण समय-समय पर पर्यटन विभाग बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।


4. इस परियोजना के लिये आवंटित की जा रही राशि का विचलन कार्य एजेन्सी द्वारा अन्यत्र नहीं किया जायेगा।
5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को भेजा जायेगा।
6. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पर्य0/यो0(रा0)- 56/2011 के पृ0 10/टि0 पर दिनांक 02.03.2012 को एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन उपरोक्त संचिका के पृ0 04/टि0 पर दिनांक 13.10.2011 को प्राप्त है।
7. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,


(महेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक: संख्या- पर्य0/यो0(रा0)- 56/2011-~~672~~प्र0वि0 पटना, दिनांक: ~~07-03-12~~

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(महेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: संख्या- पर्य0/यो0(रा0)- 56/2011-~~672~~प्र0वि0 पटना, दिनांक: ~~07-03-12~~

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/ श्री ओम प्रकाश प्रसाद, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(महेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के विशेष सचिव